11.4.19 पत्रावली पेश हुई। मिसल वादिनी प्रा. पत्र अन्तर्गत [illegible] को पेश हो। [illegible]
GR4CPC के दिनांक 1/5/19
पत्रावली प्रा पत्र के साथ नत्थी की जावे।

15.5.19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप./ नवीन प्रार्थी की प्रा पत्र अन्तर्गत आदेश 9 R4 व आदेश 22 R3 CPC पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने प्रा पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराते हुये कथन किया कि मूल वाद दिनांक 10.1.18 को वकील वादी की गैरहाजरी में अदम पैरवी खारिज हो गया था। वह अदम पैरवी खारिज होने के बाद वादी ने स्वयं द्वारा वाद दायर किया गया था। वाद संख्या 558/2013 अनवान पनाराम v/s सरकार में पुनः पुनर्जीवित करते हुये नम्बर पर लिये जाने का आदेश फरमाया था। वकील प्रार्थी का प्रा पत्र का अवलोकन किया गया। लेख पर लिया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि न्याय हित में वकील प्रार्थी का प्रा पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मूल वाद सं. 558/13 अनवान पनाराम v/s सरकार का पुनर्जीवित कर पुनः नम्बर पर लिये जाने का आदेश किये जाते हैं। प्रा पत्र पेजिल अनुसार रजिस्टर मूल वाद के साथ नत्थी हो। नम्बर के बदले हो।

(फतह लाल गहलोत)
RAS